



क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
भिवाडी ऑफिस : जी.ओ.-1, फेज -द्वितीय, रीको औद्योगिक क्षेत्र, भिवाडी
Email-id : robhiwadi@gmail.com, Ph. 01493-221435

क्रमांक:-राप्रनिम/क्षे0का0/भिवाडी/निविदा-08/2023-24/

दिनांक:

निविदा/बोली सूचना संख्या -08/2023-2024

क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भिवाडी द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 की शेष अवधि के लिये निम्न सेवा उपलब्ध करवाने हेतु पंजीकृत बोलीदाता/संवेदको/फर्मों से निम्नानुसार निविदायें आमंत्रित की जाती है:-

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित राशि [लाखों में]	बोली प्रपत्र शुल्क	बोली प्रपत्र विक्रय की अन्तिम तिथि व समय	बोली प्रपत्र जमा की अन्तिम तिथि व समय	बोली प्रपत्र खोलने की तिथि व समय
1	प्रबोधन केन्द्र हेतु क्षेत्र सहायक (Field Assistant)- 4	4.82	200/-	17.07.2023 कार्यालय समयानुसार	18.07.2023 दोपहर 11.00 बजे	18.07.2023 दोपहर 12.00 बजे

निविदा प्रपत्र एवं अन्य शर्तें www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखी व डाउनलोड की जा सकती है। डाउनलोड प्रपत्र उपयोग में लेने पर निविदा प्रपत्र शुल्क राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो (Member Secretary, Rajasthan State Pollution Control Board) Payable at Bhiwadi के नाम से प्रस्तुत करना होगा। अमानत राशि 9700/- का डी.डी. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भिवाडी के नाम से निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। सील बंद लिफाफे पर "प्रबोधन केन्द्र हेतु क्षेत्र सहायक (Field Assistant) हेतु निविदा" स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा। कार्यालय द्वारा निर्धारित तकनीकी व वित्तीय बोली हेतु प्रपत्र, पृथक-पृथक लिफाफे में प्रस्तुत करने पर ही निविदा मान्य होगी। उपापन समिति द्वारा बोली स्वीकार करने/रद्द करने का निर्णय अंतिम होगा।

SA/

(अमित शर्मा)

क्षेत्रीय अधिकारी

क्रमांक:-राप्रनिम/क्षे0का0/भिवाडी/निविदा-08/2023-24/2073-2074 दिनांक: 06.07.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. प्रभारी अधिकारी, आईटी शाखा, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निविदा को सम्बन्धित वेब साईटो पर आज ही अपलोड करवाने का श्रम करावे।
2. नोटिस बोर्ड कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भिवाडी।

(अमित शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी



—: तकनीकी बोली प्रपत्र :-

(लिफाफा न० 1)

कार्य का नाम - प्रबोधन केन्द्र (Monitoring Station) हेतु क्षेत्र सहायक (Field Assistant) (कुल संख्या 04)

1. संदर्भ सूचना : क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भिवाडी की बोली संख्या - 08 दिनांक
2. बोलीदाता / संवेदक का नाम :-
3. डाक का पता :-
4. फोन/मोबाईल नं. :-
5. ई-मेल :-
6. बैंक का नाम :-
- आईएफएससी कोड :-
- खाता संख्या :-
7. किसको सम्बोधित किया गया है। क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भिवाडी
8. बोली शुल्क रूपये : (1) 200/- रु (दो सौ मात्र)
(2) जमा रसीद संख्यादिनांक...../
डीडी क्रमांक दिनांकराशि.....
9. बोली प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें स्वीकार हैं, तथा उन पर हस्ताक्षर कर दिये गये हैं।
10. प्रबोधन केन्द्र (Monitoring Station) हेतु क्षेत्र सहायक (Field Assistant) कार्य हेतु दरें प्राईस शिड्यूल में अंकित कर दी गई हैं।
11. अमानत राशि 9700/- का डी.डी. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भिवाडी के नाम से निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न है।
डी.डी. न०..... दिनांक..... बैंक का नाम.....
12. संलग्न प्राईस शिड्यूल में वर्णित दरे बोली स्वीकृति से दिनांक 31.03.2024 तक मान्य होगी। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढ़ाया भी जा सकेंगा।
13. बोलीदाता/संवेदक द्वारा निम्नलिखित पंजीकरण का विवरण निर्धारित कॉलम्स में प्रस्तुत किया जावेगा तथा उक्त पंजीकरण प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रति बोली दस्तावेजों के साथ संलग्न करनी होगी:-


क्षेत्रीय अधिकारी,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
भिवाडी (अलवर)

क्र. सं.	विवरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970				
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4.	वस्तु एवं सेवाकर (GST)				
5.	आयकर (पैन नम्बर)				
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				
7.	ब्लैक लिस्टेड अथवा डिफॉल्टर नहीं होने सम्बन्धी 50 रु.के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र				
8.	प्रमाणित बैंक खाता पासबुक/स्टेटमेन्ट की छायांप्रति				

14. मण्डल द्वारा उक्त कराये जो वाला कार्य विशिष्ट प्रकृति का होने के कारण निविदादाता द्वारा इस कार्य सम्पादन हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले व्यक्तियों के पास राज्य प्रदूषण मण्डल के राजस्थान स्थित किसी भी कार्यालय में अथवा सरकारी या अर्धसरकारी कार्यालय में परिवेशी वायु गुणवत्ता कार्यक्रम जिसमें नमूनों के एकत्रिकरण/विश्लेषण/नमूनों का परिवहन के लिये कर्मचारी आपूर्ति कराने/करने का न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है, जिसका निम्नलिखित विवरणानुसार निर्धारित कॉलम में अंकन कर संबंधित दस्तावेज की छायाप्रति पर स्वहस्ताक्षरित कर बोली दस्तावेजों के साथ आवश्यक रूप से लगाना होगा:-

क्र. सं.	विभाग/संस्थान का नाम	उपलब्ध कराये गये क्षेत्र सहायको का आदेश विवरण एवं संख्या	उपलब्ध करवाये गये क्षेत्र सहायको की समयावधि	संबंधित विभाग /संस्थान से जारी संतोषजनक सेवा का प्रमाण पत्र का अंकन

15. मैं/हम क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भिवाड़ी द्वारा जारी की गई सीमितबोली आमंत्रण सूचना क्रमांक..... दिनांक में वर्णित सभी भातों से तथा संलग्न बोली दस्तावेजों में दी गई उक्त सीमितबोली आमंत्रण सूचना की अतिरिक्त भातों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।

16. संवेदक /बोलीदाता द्वारा बोली दस्तावेजों से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न कर दिये गये हैं।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील

नाम
मोबाईल न. -


क्षेत्रीय अधिकारी,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
भिवाड़ी (अलवर)

प्राईस-शिड्यूल
(वित्तीय बोली लिफाफा नं.2)

कार्य का नाम – प्रबोधन केन्द्र (Monitoring Station) हेतु क्षेत्र सहायक (Field Assistant)(कुल संख्या 4)

क्र. सं.	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर	EPF दर प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	प्रबोधन केन्द्र (Monitoring Station) हेतु क्षेत्र सहायक (Field Assistant)	उच्च कुशल (04)	8658		13.00 (नियोक्ता)	3.25 (नियोक्ता)		

- उपर्युक्त तालिका मे स्तम्भ संख्या 1-4, 6 व 7 तक की पूर्तियां इस कार्यालय द्वारा की जाकर बोली दस्तावेजों में ही अंकित कर उपलब्ध कराई गई है तथा शेष स्तम्भ संख्या 5, 8 एवं 9 में ही बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टियां अंकित की जायेगी।
- संवेदक/बोलीदाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवाकर (GST) राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी।
- कॉलम सं0 09 में देय राशि न्यूनतम 1/- रुपये से कम नहीं भरी जावे। राशि शून्य या ऋणात्मक या 1/- रुपये से कम अंकित होने पर निविदा को अस्वीकृत कर दिया जावेगा। राशि पूर्णांक में ही भरी जावे।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय
मोहर
नाम –

५५४
क्षेत्रीय अधिकारी,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भिदाडी (अलवर)

निविदादाता द्वारा धोषणा पत्र

मै/हम धोषणा करते हैं कि मैंने/हमने बोली की समस्त जानकारी/शर्तों का अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मै/हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि मै/हम उक्त कार्य हेतु रजिस्टर्ड है एवं वास्तव में बोली में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है। वाछिंत मशीन/उपकरण/प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध है तथा RAPP अधिनियम की धारा 46 एवं RAPP नियम के नियम 39 के अनुसार राज्य सरकार या इस उपापन संस्था से अपात्रता के लिये विवर्जित (debarred) नहीं हैं।

यदि यह धोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति या अन्य जमा राशि को पूर्ण रूप से समपहत कर लिया जाएगा तथा निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जाए।

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मोहर

नाम

पूर्ण पता

मो.नम्बर


क्षेत्रीय अधिकारी,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
भिलाडी (अलवर)



सीमित बोली सूचना -08 / 2023-2024

राष्ट्रीय परिवेशीय वायु गुणवत्ता प्रबोधन परियोजना (National Ambient Air Quality Monitoring Programme) कार्य का विस्तृत विवरण:-

भिवाडी मे प्रबोधन केन्द्र (Monitoring Station) वर्तमान मे निम्न स्थानों पर स्थित है:-

क्र.स.	प्रबोधन केन्द्र (Monitoring Station) का नाम	क्षेत्रीय प्रयोगशाला का नाम व पता जहा नमूने जमा कराने हैं
1	क्षेत्रीय कार्यालय, परिसर, भिवाडी	क्षेत्रीय प्रयोगशाला, राप्रनिम, जी.ओ. 1, फेज-द्वितीय, रीको औद्योगिक क्षेत्र, भिवाडी
2	BIDA, STP, BHIWADI	
3	ऑरियेंट सिंटेक्स प्रा0लि0, भिवाडी	

निविदादाताओं को निविदा सूचना मे दिये गये निर्देशों के अनुसार उचित रूप से मुहरबन्द लिफाफे में बन्द करना होगा। लिफाफे पर "प्रबोधन केन्द्र (Monitoring Station) हेतु क्षेत्र सहायक (Field Assistant) हेतु निविदा" अंकित कर उसे क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण मंडल, जी.ओ.-1, फेज-द्वितीय, रीको औद्योगिक क्षेत्र, भिवाडी को सम्बोधित करते हुए रजिस्टर्ड डाक/साधारण डाक द्वारा या व्यक्तिशः इस प्रकार प्रस्तुत करना होगा कि वह निर्धारित तिथि एवं समय तक कार्यालय में पहुँच जावे।

- परिवेशीय वायु गुणवत्ता केन्द्र पर तकनीकी सहायक/कर्मों से केन्द्र पर लिये जाने कार्य अपेक्षित कार्य:-
(अ) कार्य का विवरण: राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, के राष्ट्रीय परिवेशीय वायु गुणवत्ता प्रबोधन परियोजनान्तर्गत (National Ambient Air Quality Monitoring Programme) भिवाडी स्थित तीन (03) स्थानों पर वायु प्रदूषण मापने वाली मशीनों का चालन, (Operation of Respirable Dust Sampler एवं PM2.5 Sampler) सुरक्षा (Safety and Security) वायु नमूनों का संग्रहण (Collection of Air Samples) एवं सम्बन्धित आकडो (National Air Quality Monitoring, Data Sheet) सहित विश्लेषणार्थ (Analysis) क्षेत्रीय प्रयोगशाला, भिवाडी को शीघ्रताशीघ्र निर्देशानुसार हस्तान्तरण (Hand Over) करना। परियोजना अन्तर्गत स्थानों को परिवर्तित भी किया जा सकता है स्थानों व मशीनों की संख्या मे कमी वृद्धि की जा सकती है।
(ब) निर्धारित स्टेशनों पर मण्डल द्वारा उपलब्ध कराई मशीन का सुचारु रूप से प्रचालन (Operation of Equipments)
(स) प्रत्येक प्रबोधन केन्द्र (Monitoring Station) एक सप्ताह में दो दिवस के अन्तराल पर 24 घन्टे चलाया जायेगा।
(द) वांछित कार्य सम्पादन के लिये 8 घन्टे प्रति पारी (6:00 ए.एम. से 2:00 पी.एम., 2:00 पी.एम. से 10:00 पी.एम. एवं 10:00 पी.एम. से 6:00 ए.एम.) के सचालन हेतु प्रति पारी न्यूनतम एक तकनीकी सहायक (Technical Assistant)/कर्मों नियुक्त किया जायेगा।
- आपात स्थिति एवं दीपावली के दौरान आवश्यक होने पर किसी एक अथवा सभी प्रबोधन केन्द्रों पर दो दिवस के स्थान पर तीन दिवस या अधिक दिन को भी यह कार्य किया जा सकता है। इस कार्य को करने की जिम्मेदारी भी ठेकेदार की होगी इस कार्य का भुगतान आनुपातिक दरों के अनुसार किया जायेगा।
- तकनीकी सहायक (Technical Assistant)/कर्मों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उच्च माध्यमिक/सीनियर सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होनी आवश्यक है।

4. मुख्य/अधीक्षण वैज्ञानिक अधिकारी/अन्य अधिकृत अधिकारियों को समय-समय पर कार्य का निरीक्षण करने का अधिकार होगा जिसके दौरान पायी गई कमियों के आधार पर ठेकेदार/संस्था पर शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी साथ ही ऐसी कमियों का ठेकेदार/संस्था द्वारा तुरन्त निराकरण करना होगा।

परिवेशीय वायु प्रबोधन परियोजनान्तर्गत (National Ambient Air Quality Monitoring Programme) कार्य की शर्तें

1. निविदादाता को भिवाडी (अलवर) के सम्पूर्ण प्रबोधन केन्द्रों (Monitoring Station) पर कार्य सम्पादन करने हेतु निविदा प्रस्तुत करनी होगी।
2. अमानत राशि 9700/- का डी.डी. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भिवाडी के नाम से निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा।
3. ठेकेदार को रु 500/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र इस कार्यालय में कार्य आदेश मिलने के सात दिवसों में जमा कराना होगा।
4. क्षेत्रीय अधिकारी को अधिकार होगा कि अनुबन्ध की अवधि के दौरान कार्य सन्तोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में नोटिस देकर अनुबन्ध का समाप्त कर सकें इस बारे में अनुबन्धता किसी भी हर्जे खर्जे की मांग नहीं कर सकेगा निविदादाता द्वारा जमा कराये गये धरोहर राशि/कार्य प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।
5. ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत निविदा या संलग्न दस्तावेजों में कोई मिथ्या तथ्य या कोई अन्य त्रुटि पायी जाने पर निविदा को रद्द करने एवं उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने का अधिकार क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भिवाडी को होगा।
6. विभाग किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये अस्वीकृत कर सकता है विभाग के लिये न्यूनतम दर की निविदा स्वीकार करने की बाध्यता नहीं होगी।
7. निविदा की दरे मूल निविदा प्रपत्र पर ही प्रस्तुत की जानी आवश्यक है मूल निविदा प्रपत्र के अभाव में निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
8. प्रबोधन कार्य संचालन (Handing of Monitoring Work) सम्पादन हेतु मशीन उपस्कर/उपकरण रसायन तथा कार्य प्रशिक्षण (Training on Operation of Equipment supply of Absorbing Solution Filter Paper) आदि मण्डल प्रयोगशाला द्वारा उपलब्ध कराये जायेगे। आवश्यकतानुसार मशीन की मरम्मत सर्विस (Servicing and repairing) आदि की जिम्मेदारी मण्डल की होगी लेकिन प्रत्येक तकनीकी सहायक (Technical Assistant)/कर्मि की कर्तव्य निष्ठा सुचारु रूप से मशीन के संचालन/संधारण आदि के लिये निविदादाता उत्तरदायी होगा तकनीकी सहायक (Technical Assistant)/कर्मि द्वारा मशीन के चालन/प्रचालन के रुकावट पर तुरन्त मण्डल के नामित अधिकारी को सूचित करना होगा। यदि ठेकेदार या उसके तकनीकी सहायक (Technical Assistant)/कर्मि की लापरवाही से मशीन के खराब होने, कांच के सामान टूटने पर विभिन्न अभिकर्मकों, फिल्टर पेपर, आकडा प्रतिवेदन, आंकडा संग्रहण आदि को क्षति पहुंचाने या दुरुपयोग करने पर ठीक कराने की जिम्मेदारी भी ठेकेदार की ही होगी तथा मण्डल उपकरण ठीक कराने में किये गये व्यय को धरोहर राशि/उसे देय भुगतान में से वसूल कर सकेगा।
9. ठेकेदार को कॉन्ट्रैक्ट लेबर (रिग्यूलेशन एवं एबोलिशन) एक्ट, 1970 के अन्तर्गत पर्जीकृत होना आवश्यक है। आयकर विभाग ने स्थायी खाता संख्या एवं सर्विस टेक्स रजिस्ट्रेशन संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न किया जावे।
10. कार्यों के विवरण में दिये गये कार्यों को करते समय यदि किसी की मृत्यु हो जाती है या कर्मचारी किसी भी रूप में अपंग हो जाता है या अन्य कोई क्षति होती है या कोई अनहोनी हो तो उसकी समस्त जिम्मेदारी एवं इसके मुआवजे आदि के भुगतान का भार ठेकेदार द्वारा ही वहन किया जावेगा। मण्डल किसी भी प्रकार की क्षति/मुआवजे के लिये किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होगा।

11. कर्मचारी राज्य बीमा, अंशदायी प्रावधायी निधि एवं अन्य कोई नियम जो ठेकेदार पर लागू होते हो तो उन नियमों के अन्तर्गत उनकी पालना करने का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
12. ठेकेदार प्रतिमाह वैज्ञानिक अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अन्य प्रयोगशाला अधिकारी से मासिक बिल प्रमाणित करायेगा। मण्डल द्वारा स्वीकृत निविदा राशि का ही भुगतान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा।
13. ठेके की शर्तों का उल्लंघन करने पर बिना कोई नोटिस दिये ठेका निरस्त कर जमा कार्य प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।
14. ठेके की व्यवस्था के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न हो जाने पर क्षेत्रीय अधिकारी, भिवाडी का निर्णय अन्तिम होगा जो ठेकेदार को मान्य होगा।
15. निविदादाता फर्म की गत दो वर्ष की आयकर चुकती प्रमाण पत्र/रिटर्न की प्रति संलग्न करें।
16. निविदादाता फर्म के सम्बन्ध में सम्पूर्ण बायोडाटा मय अनुभव संलग्न करें।

अन्य महत्वपूर्ण शर्तें:

1. ठेकेदार/संस्था इस कार्य सम्पादन हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले व्यक्तियों की सूची मय फोटो तथा योग्यता प्रमाण पत्रों के संलग्न करेगा।
2. इस निविदा के तहत कार्य निष्पादन हेतु ठेकेदार/संस्था निर्धारित योग्यताधारी श्रमिकों को नियोजन किया जायेगा तथा ऐसे नियोजित श्रमिकों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर से कम भुगतान नहीं करेगा। यदि उसके द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो इस हेतु ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।
3. मॉनिटरिंग स्टेशन के चालन के समय 24 घंटे व्यक्ति उपलब्ध रहना अनिवार्य है।
4. ठेकेदार/संस्था द्वारा कार्य पर लगाये गये क्षेत्र सहायको की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होगी।
5. ठेकेदार/संस्था द्वारा अपराधिक चरित्र/अपराधिक प्रकृति/न्यायालय द्वारा अपराध सिद्ध दोषी सजायाफ्ता व्यक्ति को कार्य पर नहीं लगाया जावेगा इस हेतु पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
6. ठेकेदार/संस्था के व्यक्तियों द्वारा यदि स्टेशन पर स्थापित उपकरण विभिन्न रसायनों अभिकर्मकों आदि को कोई नुकसान पहुंचाया जाता है तो उसकी क्षतिपूर्ति ठेकेदार/संस्था के करनी होगी।
7. ठेकेदार/संस्था को राज्य मण्डल के अवधाता प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जब भी निर्देश हेतु बुलाया जावेगा तो वह तुरन्त उपस्थित होगा।
8. ठेकेदार/संस्था द्वारा नियोजित किये जाने वाले तकनीकी सहायक (Technical Assistant)/कर्मों के संबंध में विभिन्न श्रम एवं अन्य सम्बन्धित कानूनों के प्रावधानों की पालना करने का सम्पूर्ण दायित्व ठेकेदार/संस्था का होगा। राज्य मण्डल उक्त समस्त श्रम कानूनों के लिये किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होगा।
9. प्रभावी श्रम एवं अन्य सम्बन्धित कानूनों के तहत प्रावधायी निधि (EPF) एवं बिना (ESI) और सेवाकर आदि की राशि जमा करवाने एवं अन्य वित्तीय अथवा कानूनी दायित्व ठेकेदार/संस्था के होंगे इस हेतु कोई अतिरिक्त भुगतान क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा नहीं किया जावेगा।
10. श्रम एवं अन्य सम्बन्धित कानूनों की पालना करने पर अथवा अनुबन्ध की शर्तों का अल्लंघन करने पर एवं कार्य सन्तोषजनक नहीं पाये जाने पर बिना नोटिस दिये ठेका समाप्त किया जा सकता है।
11. ठेकेदार/संस्था नियोजित श्रमिकों के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाली किसी भी सेवा/श्रमिक सम्बन्धी विवाद में दायित्व ठेकेदार/संस्था को होगा तथा क्षेत्रीय कार्यालय से उनका कोई सम्बन्ध नहीं होगा।
12. ठेकेदार/संस्था द्वारा नियोजित श्रमिकों के सम्बन्ध में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के प्रावधानों की पालना हेतु ठेकेदार/संस्था पूर्णतः जिम्मेदार होगा। इस सम्बन्ध में यदि क्षेत्रीय कार्यालय को कोई राशि व्यय करनी पड़ी तो वह ठेकेदार/संस्था के लम्बित भुगतान या कार्य प्रतिभूति राशि से वसूल की जायेगी।
13. यदि अनुबंध के सम्बन्धित कार्यों के सम्पादन में किसी प्रकार की लापरवाही पायी जाती है एवं इसके लिये निविदा शर्तों/कार्यालय में शास्ति (Penalty) का स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है तो ऐसे कार्यों में लापरवाही या किसी प्रकार की शास्ति क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा आरोपित की जा सकेगी।

14. ठेकेदार द्वारा चुकाये जाने वाली किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति/दंड एवं शास्ति (Compensation and Penalty) की राशि ठेकेदार को देय किसी भी प्रकार के भुगतान अथवा कार्य प्रतिभूति राशि में से वसूल करने का अधिकार मण्डल को होगा।
15. उक्त शर्तों के अतिरिक्त सामान्य वित्तिय एवं लेखा नियमों की शर्तें व विनियम भी ठेकेदार/संस्था को स्वीकार्य होगा।
16. इस निविदा के सम्बन्ध में अथवा इसके तहत निष्पादित किये जाने वाले अनुबन्ध के संबंध में कोई न्यायिक विवाद किसी भी सक्षम न्यायालय में उत्पन्न होता है अथवा पूर्व के ठेके का कोई विवाद न्यायालय में लम्बित हो और माननीय न्यायालय द्वारा यदि कोई दिशा निर्देश पारित किये जाये तो माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना ठेकेदार/संस्था द्वारा सुनिश्चित की जानी होगी चाहे वह प्रकरण में पक्षकार हो अथवा नहीं हो।
17. यह की मण्डल कार्यालय द्वारा किसी भी परिस्थिति में यदि उक्त परियोजनार्थ कोई विकल्प प्राप्त कर लिया जाता है तो एक माह के पूर्व नोटिस के बाद संविदा समाप्त की जा सकेगी।
18. इस निविदा के तहत अनुबन्ध की अवधि 31.03.2024 तक की होगी। जिसे आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकेगा।
19. इस निविदा के सम्बन्ध में अथवा इसके तहत निष्पादित किये जाने वाले अनुबन्ध को शर्तों की व्याख्या अथवा अनुबन्ध से सम्बन्धित किसी भी मामले में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इस विवाद पर क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, भिवाडी का निर्णय अंतिम होगा और ठेकेदार/संस्था को मान्य होगा।
20. ठेकेदार या उसके तकनीकी सहायक (Technical Assistant)/कर्मों द्वारा नमूने के एकत्रिकरण के कार्य में प्रतिदिन क्षेत्रीय प्रयोगशाला प्रभारी कि निर्देशानुसार प्रयोगशाला में नमूनों को मय आंकडा प्रतिवेदन (Collected sample and Data Sheet) विश्लेषण के लिये जमा कराया जायेगा।
- 21- शास्ति (Penalty)
 - (1) ठेकेदार/ठेकेदार के प्रतिनिधि द्वारा आंकडा प्रतिवेदन एवं नमूनों को क्षेत्रीय प्रयोगशाला में समय पर जमा नहीं कराने पर उस दिन की भुगतान (Payment) की जाने वाली राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा तथा उस दिन किये जाने वाली भुगतान राशि के बराबर की राशि की शास्ति (Penalty) लगायी जायेगी।
 - (2) ठेकेदार द्वारा लगातार तीन दिवसों पर कार्य में लापरवाही करने पर उन दिनों का भुगतान की जाने वाली राशि की दो गुणा राशि शास्ति के रूप में वसूली जायेगी।
 - (3) लगातार सात कार्य दिवसों पर लापरवाही करने पर ठेका निरस्त किया जा सकेगा एवं कार्य प्रतिभूति राशि पूर्ण रूप से जब्त कर ली जायेगी तथा उसकी जोखिम पर कार्य अन्य संस्था से करवाया जावेगा तथा अन्तर की राशि ठेकेदार से वसूल की जावेगी।
22. किसी भी प्रकार के न्यायिक विवाद का क्षेत्राधिकार अलवर होगा।
23. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त राजस्थान सरकार के नियमानुसार समय-समय पर जारी की जाने वाली अन्य शर्तें मान्य होगी।
24. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने पूर्ण अधिकार क्षेत्रीय अधिकारी को होगा।

दिनांक:-

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर

नाम: मैसर्स.....

पता:


क्षेत्रीय अधिकारी,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
भिवाडी (अलवर)

General Terms & Conditions of Bid & Contract:-

कार्य का नाम — प्रबोधन केन्द्र (Monitoring Station) हेतु क्षेत्र सहायक (Field Assistant) (कुल संख्या 4)

Important Instructions :- The law relating to procurement "The Rajasthan transparency in public procurement act, 2012" {hereinafter called the act} and the Rajasthan transparency in public procurement rules, 2013" {hereinafter called the rules} under the said act have come into force which are available on the website of state public procurement portal <http://sppp.raj.nic.in>. Therefore, the bidders are advised to acquaint themselves with the provisions of the act and the rules before participating in the bidding process. If there is any discrepancy between the provision of the act and the rules and this bidding document, the provision of the act and the rules shall prevail

1. बोलीदाता को बोलियों पृथक-पृथक लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। प्रथम लिफाफा जिस पर "प्रबोधन हेतु क्षेत्र सहायक कार्यके लिए तकनीकी बोली अंकित हो मय बोली अमानत राशि 9700/- का डीडी क्षेत्रिय अधिकारी राजस्थान प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल भिवाडी के नाम देय बोली के साथ आवश्यक है। तकनीकी बोली में वर्णित दस्तावेज, जिसमें वर्णित समस्त शर्तों के सभी पृष्ठों पर बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षर किये गये हों, होने चाहिए। द्वितीय लिफाफा जिस पर प्रबोधन (Monitoring) हेतु क्षेत्र सहायक (Field Assistant)के लिए वित्तीय बोली अंकित हो मे प्राईस शिड्यूल में दरें अंकित कर प्रस्तुत करना होगा। तकनीकी एवं वित्तीय बोलियों के लिफाफे एक बड़े लिफाफे में बन्द कर लिफाफे पर " प्रबोधन (Monitoring) हेतु क्षेत्र सहायक (Field Assistant)" अंकित कर प्रस्तुत करने होंगे।
2. बोलीदाता को इस बोली आमंत्रण सूचना प्रपत्र के साथ संलग्न Annexure I&II अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर कर संलग्न करने होंगे।
3. तकनीकी रूप से सफल बोलीदाताओं की ही वित्तीय बोली खोली जावेगी।
4. कार्य के समय लागू जी0एस0टी0 की दरें अतिरिक्त देय होगी।
5. बोलीयां उचित रूप से मोहर बंद लिफाफे में प्रेषित की जायेगी। तकनीकी बोली के लिफाफे में आमानत राशिराशि जमा कराने का प्रमाण, तकनीकी बोली प्रपत्र में वर्णित बिन्दु संख्या 13 में 1 से 8 तक के प्रमाण पत्र बैंक खाता विवरण एवं , बोली प्रपत्र एवं शर्तें मय हस्ताक्षरित रखी जावेगी।
6. बोलीदाता को अपने बैंक खाते का विवरण मय बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, आईएफएससी कोड एवं बैंक खाता संख्या संलग्न करना होगा।
7. फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना को लिखित रूप से क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भिवाडी को अविलम्ब संसूचित किया जावेगा तथा इस परिवर्तन से संविदा/बोली के अधीन किसी भी दायित्व से पूर्ववर्ती फर्म एवं उसके पूर्ववर्ती सदस्यों को मुक्त नहीं किया जावेगा।
8. संविदा के संबंध में नई फर्म के तब तक कोई नया/नये भागीदार स्वीकार नहीं किया जायेगा/किये जावेगा जब तक की वह/वे समस्त निबन्धों और शर्तों का पालन करने हेतु सहमत न हों और क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भिवाडी के समक्ष इस आशय का एक लिखित करार जमा न कर दें। अभिस्वीकृति हेतु सफल बोलीदाता की रसीद को या किसी भागीदार की रसीद को बाद में उपर्युक्तानुसार स्वीकृत किया जावेगा और उससे वे सभी आबद्ध होंगे और वह संविदा के किसी प्रयोजन हेतु पर्याप्त उन्मोचन होगा।
9. बोली प्रपत्र स्याही से या टंकण से भरे जावेंगे। पैनिसल से भरी किसी भी बोली पर विचार नहीं किया जावेगा। बोलीदाता प्रपत्र एवं शर्तों अथवा अन्य संबंधी दस्तावेजों के सभी पृष्ठों पर अपने हस्ताक्षर करेगा और मोहर अंकित करेगा, जो उसकी शर्तें स्वीकार करने का प्रमाण होगा।
10. दरें अंकों एवं शब्दों दोनों में अंकित की जावेगी। इनमें किसी भी प्रकार की त्रुटि या उपरिलेखन नहीं किया जावेगा। ऐसा कोई है तो बोलीदाता को इस पर अपने लघु हस्ताक्षर मय दिनांक करने होंगे अन्यथा बोली निरस्त कर दी जावेगी।
11. दरें बोली स्वीकृती की दिनांक से **31.03.2024** तक के लिए वैध एवं मान्य होगी। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढ़ाया भी जा सकेगा।
12. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012, नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं इस संबंध में वित्त विभाग, राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना, प्रपत्र, गाईडलाईन आदेश, निर्देश आदि प्रभावी रहेगें।
13. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबंधित संवेदक/बोलीदाता का होगा।
14. संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खाते में ही किया जायेगा। संबंधित संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि का विवरण

- आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
15. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक/बोलीदाता का होगा।
 16. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय-समय पर वृद्धि होने पर संवेदक/बोलीदाता को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
 17. संवेदक/बोलीदाता को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई. पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक/बोलीदाता का अंशदान शामिल होगा। संवेदक/बोलीदाता द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक/बोलीदाता को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।
 18. संवेदक/बोलीदाता द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display Boards लगाये जायेंगे, जिन पर संवेदक का नाम संविदा अवधि, कार्य की प्रगति श्रमिकों हेतु Helping नम्बर एवं संवेदक/बोलीदाता द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने संबंधी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।
 19. न्यूनतम निविदादरों एक से अधिक निविदा दाताओं की समान प्राप्त होने की स्थिति में न्यूनतम दर के साथ निविदा की दरों की व्यवहारिकता उसके पूर्व किये गये कार्यों का अनुभव और उसके पेंजीयन की प्रमाणिकता आदि को भी ध्यान में रखा जावेगा। क्षेत्रिय कार्यालय की उपापन समिति स्वविवेक से परीक्षण कर इस कार्य हेतु पात्र संस्थाएँ कार्य करने की क्षमता, वार्षिक टर्नओवर, स्थानीय परिस्थितियों कार्य अनुभव आदि को मददेनजर रखते हुए गुणावगुण के आधार पर किसी भी न्यूनतम निविदादाता की निविदा स्वीकृति का निर्णय लेने के लिये स्वतन्त्र होगी। इस संबंध में कोई वाद विवाद स्वीकार नहीं होगा और न ही कार्यालय की उपापन समिति अन्य निविदादाताओं को इस क्रम में कोई स्पष्टीकरण देने के लिये बाध्य नहीं होगी।
 20. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।
 21. संवेदक/बोलीदाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक/बोलीदाता की ही होगी। संवेदक/बोलीदाता द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्व के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।
 22. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों का पालना करने का दायित्व संवेदक/बोलीदाता का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा-निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति के उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक/बोलीदाता स्वयं उत्तरदायी होगा।
 23. यदि संवेदक/बोलीदाता एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबंधकीय जिम्मेदारी संवेदक/बोलीदाता की होगी। इसके लिये क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भिवाडी, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निश्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।
 24. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने का औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 विहित प्रावधानों, के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुवाअजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।
 25. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध में/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने /ई.एस.आई. करवाने/सामूहिक दुर्घटना बीमा करने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा, इसके लिये इस कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
 26. यदि संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत इस कार्यालय को प्राप्त होती है तो इसके संबंध में इस कार्यालय द्वारा श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित किया जायेगा और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक/बोलीदाता को Debar कराने की कार्यवाही की जायेगी।
 27. यदि इस कार्यालय द्वारा कार्य की विशिष्ट प्रकृति के मद्देनजर किसी निर्धारित प्रतिशात में कोई अतिरिक्त राशि मानव संसाधन हेतु स्वीकृत कराता है, तो उक्त अतिरिक्त राशि को न्यूनतम मजदूरी में सम्मिलित नहीं करते हुए, इसे पृथक से भुगतान हेतु अंकित किया जायेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी उपापन संस्था द्वारा अतिरिक्त राशि के रूप में

- न्यूनतम मजदूरी 10 प्रति 10 की सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर रखी है तो न्यूनतम मजदूरी के उपर 10 प्रतिशत का पृथक से भुगतान संवेदक को दिया जायेगा। उक्तानुसार विशिष्ट कार्य करने वाले संबंधित श्रमिक को 10 प्रतिशत (न्यूनतम मजदूरी का) अतिरिक्त भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक/बोलीदाता का होगा।
28. सीमितबोली में सफल बोलीदाताओं/संवेदकों से, दर संविदाओं के अन्तिम मूल्यांकन में उनकी स्थिति कार्मिक स्थिति के क्रम में अति महत्पूर्ण प्रकृति/अपेक्षित संख्या में क्षेत्र सहायक उपलब्ध करवाना न्यूनतम बोलीदाता की क्षमता से परे होने पर, समानान्तर दर संविदा की जा सकती है।
29. इस कार्यालय द्वारा विद्यमान दर संविदाएं उसी कीमत निबंधनों और भातों पर तीन मास से अनधिक कालावधि के लिए बढ़ाई जा सकेगी, यदि दर संविदा के अधीन क्षेत्र सहायक उपाप्त किये जाने या उसके घटकों की बाजार कीमते इस कालावधि के दौरान गिर न गयी हो।
30. बोली की विधि मान्यता बोली खुलने की तिथि से 90 दिन की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।
31. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौपेगा या भाडे (Sub-Let) पर नहीं देगा।
32. जिस बोलीदाता की बोली स्वीकार की जाएगी वह 04 दिवस में प्रबोधन केन्द्र (Monitoring Station) हेतु क्षेत्र सहायक (Field Assistant) उपलब्ध करवायेगा।।
33. मूल्यांकन की कसौटी- सीमित बोली में सफल / क्वालिफाइड बोलीदाता/संवेदक की न्यूनतम कीमत के आधार पर बिड का मूल्यांकन किया जायेगा।
34. बोलियों का अपवर्जन :- अधिनियम की धारा 25 में उल्लेखित आधार पर बोली को अपवर्जित किया जा सकेगा।
35. सफल निविदादाता को नियमानुसार प्रतिभूति राशि जमा कराना अनिवार्य होगा।
36. करार एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Agreement and Performance Security):-
- (अ) बोली आमंत्रण में अंकित सेवा की आपूर्ति हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति आदेश पत्र दिनांक से अधिकतम 7 दिन में सम्पादन प्रतिभूति के रूप में डिमान्ड ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भिवाडी, के नाम पर जमा करानी होगी एवं राशि 500 रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम में निर्धारित एस.आर. प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादन करना होगा।
- (ब) सफल बोली लगाने वाले की दशा, में आमानत राशि की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती है यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि दे देता है।
- (स) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।
37. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का समपहरण Security (Forfeiture of Work Performance Deposit) :-कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नांकित मामलों में समपहरण (Forfeiture) किया जा सकेगा :-
- (क) जब संविदा की भातों का उल्लंघन किया गया हो।
- (ख) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सेवा सप्लाई सन्तोशजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
- (ग) जब बोलीदाता सेवा सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में सेवा की सप्लाई आरम्भ करने में असफल रहता हो। कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जायेगा। इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।
38. भुगतान:-
- (i) सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल दो प्रतियों प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भुगतान किया जायेगा। अनुबंधित बोलीदाता द्वारा प्रत्येक माह का बिल भुगतान हेतु आगामी माह के प्रारम्भ के 03 कार्य दिवस में प्रस्तुत किया जायेगा। विलम्ब से बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान में होने वाले विलम्ब के लिए अनुबंधित बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।
39. बोली के निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार की समस्या/संदेह हो तो क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भिवाडी से सम्पर्क किया जा सकता है।
- मै/हम क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भिवाडी द्वारा जारी की गई सीमित बोली सूचना.....
..... दिनांक..... में वर्णित समस्त शर्तों तथा संलग्न पत्रों (जिसके समस्त पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं) में दी गई उक्त बोली सूचना की समस्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। साथ ही इस बात पर भी सहमति देते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा बिड के साथ संलग्न किये गये

समस्त दस्तावेजों की प्रमाणिकता की जाँच मेरे/हमारे द्वारा अपने स्तर पर कर ली गई है। सभी दस्तावेज विधिक/प्रक्रियात्मक एवं मौलिक रूप से सही हैं। यदि बिड प्रक्रिया या बिड प्रक्रिया के पश्चात् किसी भी स्तर पर उक्त दस्तावेजों की प्रमाणिकता असिद्ध होती है तो इसके लिए मैं/हम पूर्ण रूपेण उत्तरदायी रहूँगा/रहेगे एवं इसके लिए विभाग किसी भी स्तर पर किसी भी समय बिना नोटिस दिये हमारी बिड/अनुबंध को निरस्त करने/हमारे विरुद्ध कानून/विधि सम्मत दण्डात्मक कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगा।

उपरोक्त शर्तें मेरे द्वारा पढ़ ली गई हैं जो मुझे स्वीकार हैं।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय नाम व पता


क्षेत्रीय अधिकारी,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भिलाई (अलवर)